निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 78 वर्ष 2016-17

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खंड, बागेश्वर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खंड, बागेश्वर** के माह 05/2015 से 10/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री डी॰के॰मट्टू एवं श्री एस॰एस॰दरियाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 11/11/2016 से 21/11/2016 तक श्री .... वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस॰एस॰दरियाल, भानु प्रताप सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 02/05/2015 से 12/05/2015 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2011 से 04/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2015 से 10/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र जिला बागेश्वर

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	2,94,78,000	-	4,04,09,000	3,33,33,156	-	-	-	70,75,844,
2015-16	3,16,00,000	-	3,51,13,000	31,11,13,997	-	-	-	40,07,766
2016-17	1,25,03,000	-	3,40,63,300	2,23,13,163	-	-	-	1,17,49,837,
योग	7,35,81,000	-	10,95,85,300	8,67,60,316	-	-	-	2,25,33,447

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `(लाख)	प्राप्त `(लाख)	व्यय अधिक्य (+) `(लाख)	बचत (-) `(लाख)
2013-14	4711 सी॰एस॰एस॰	-	30.83	30.40	.43
2014-15	4711 सी॰एस॰एस॰	0.00	1131.64	1131.52	.12
2015-16	4711 सी॰एस॰एस॰	-	350.00	350.00	-
2016-17	4711 सी॰एस॰एस॰	-	343.68	343.37	.31

(iii) इकाई को बजट आवंटन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'बी ' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः
(संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाय)

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खंड, बागेश्वर** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खंड, बागेश्वर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है माह 07/2015 एवं 09/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। **Flood Protection Work in Tallichat** का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकत्तम व्यय एवं अधिकत्तम धनराशि का अनुबंध 63.46 लाख के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971), लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक **27/07/2015** को निरीक्षण किया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2016 तथा **09/2015** तक की गई।
5. फार्म 51: माह 09/2016 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम ` **1,44,027.87** /-

भाग द्वितीय ` **7,60,388.41** /-

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 10/2016 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ` **38,46,568** /-

(ख) सामग्री क्रय ` **7,92,183** /-

(ग) नगद परिशोधन -

(घ) निक्षेप ` **3,15,430** /-

(ङ) भण्डार –

<u>भाग-II 'अ'</u>

शून्य

भाग-II 'ब'

प्रस्तर -01 अवैध परिवहन कर लाई गई उपखनिजों पर ` 39415560.00 + ` 25000.00 (प्रति परिवहन पर) अर्थदण्ड आरोपित न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन औध्योंगिक विकास अनुभाग -2 संख्या 3253/vii-ii-11/158-ख/2004 देहरादून दिनांक 23/12/2011 अधिसूचना खनिजों के अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावित नियंत्रण किए जाने तथा राजस्व क्षति को रोकते हुए राजस्व वृद्धि सुनिश्चित किए जाने हेतु उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली 2005, (प्रथम संशोधन 2011) के नियम 13 (2) (क) एवं (ख) के अनुसार अवैध भंडारण कर्ता/ अवैध परिवहन कर्ता/ अवैध खनन कर्ता/ स्वीकृति मात्रा से अधिक खनिज का भंडारण कर्ता से खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियमन, 1957 की धारा -21 के उपनियम (1) एवं 21 के उपनियम (5) द्वारा निर्धारित अर्थदण्ड धनराशि ` 25000.00 के अतिरिक्त अवैध उत्खनित खनिज/ परिवहन किए जा रहे खनिज/ भंडारित किए गए खनिज की मात्रा पर विक्रय मूल्य की धनराशि जिलाधिकारी द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खनिज की विक्रय मूल्य (रायल्टी के पाँच गुना) के रूप मे अथवा नीलामी के माध्यम से जो अधिक हो निस्तारित किया जाएगा। और एसे अधिगृहीत या समपहृत खनिज के परिवहन हेतु निर्धारित परिवहन प्रपत्र जारी किया जाएगा। उक्त के परिपेक्ष में अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, बागेश्वर के द्वारा लेखापरीक्षा अवधि में ट्रेजरी में जमा की गई रायल्टी विवरण पत्र एवं भुगतान विपत्र प्रमाणक की लेखापरीक्षा में पाया कि ठेकेदार के द्वारा बिना निर्धरित परिवहन प्रपत्र MM-11 एवं प्रपत्र "J" के ही ` 7883112.00 की उपखनिज परिवहन कर कार्य मे प्रयुक्त की गई उल्लिखित अधिनियम/नियमानुसार बिना निर्धारित प्रपत्र के परिवहन कर लाये एवं प्रयुक्त की गई उपखनिज अवैध परिवहन की श्रेणी में आता हैं। अत: उक्तलिखित नियमानुसार अवैध परिवहन कर लाये गए एवं प्रयुक्त की गई उपखनिज पर रायल्टी के पाँच गुना एवं प्रत्येक परिवहन पर ` 25000.00 का अर्थदण्ड आरोपित कर वसूला जाना चाहिए था। उकतानुसार लेखापरीक्षा अवधि में कुल ` 7883112.00 की अवैध उपखनिज कार्य पर प्रयुक्त किया गया था, उल्लिखित नियमानुसार ` 7883112.00 *5= `39415560.00 +` 25000.00 प्रति परिवहन पर अर्थदण्ड आरोपित कर वसूला जाना था, लेकिन ठेकेदार के द्वारा अवैध उपखनिज कार्य पर प्रयुक्त किए जाने पर खंड के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसे इंगित करने पर खंड ने उत्तर मे बताया कि "इस आशय का, कि ठेकेदार पर बिना परिवहन प्रपत्र के ही उपखनिज प्रयुक्त करने पर अर्थदण्ड आरोपणीय है, उच्चाधिकारी से या संबन्धित विभागों से कोई आदेश निर्देश प्राप्त नहीं है अत: अर्थदण्ड आरोपित करना इस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र मे नहीं है।" खंड का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड सरकार के द्वारा उल्लिखित नियमावली, 2005 एवं प्रथम संशोधन 2011 में ही जारी की गई थी। अत: नियमावली के अनुपालन में खंड के द्वारा संबन्धित विभाग को सूचित करते हुए कार्यवाही किया जाना उपेक्षित था। आगे यह पूछे जाने पर कि बिना निर्धरित प्रपत्र के कितने वाहनो से अवैध उपखनिज परिवहन कर लायी गई थी। खंड ने उत्तर में बताया कि "इस कार्यालय के द्वारा प्राक्कलन एवं मापपुस्तिका के अनुसार जो उपखनिज कार्य में प्रयुक्त किया गया है, कि माप घनमीटर के अनुसार रायल्टी वसूल की जाती है अत: कार्यालय में इसका कोई विवरण नहीं है। " खंड के उत्तर से स्पष्ट है कि खंड के द्वारा कितने वाहनो से अवैध उपखनिज परिवहन कर लायी गई थी, का कोई विवरण नहीं है। खंड ने आगे यह भी बताया कि "प्रकरण को जिलाधिकारी एवं सिंचाई विभाग के उच्चाधिकारियों को संदर्भित किया

जाएगा तथा उनके आदेशों/ निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी।" इससे स्पष्ट है कि सिंचाई विभाग के द्वारा उल्लिखित अधिनियम/ नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन न किए जाने के कारण ` 39415560.00 +` 25000.00 (प्रति परिवहन पर) अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया। अत: अवैध परिवहन कर लाई गई उपखनिजों पर ` 39415560.00 +` 25000.00 (प्रति परिवहन पर) अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- 2(ब)

प्रस्तर-02 ` 755.86 लाख से निर्मित नहरों से किसानो को सिंचाई का पूर्ण लाभ प्राप्त न होना।

अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खंड, बागेश्वर कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान सिंचाई हेतु निर्मित नहरों से संबन्धित पत्रावलियों की लेखापरीक्षा जांच में पाया कि इस खंड के अंतर्गत कुल 138 नहरें निर्मित है। जिसकी कुल लंबाई 380.26 कि॰मी॰ एवं सी॰सी॰ए॰ 3544 हेक्टेयर है। कुल 138 नहरों मे से 5 नहरें निष्प्रयोजय तथा 11 नहरें बंद हैं तथा 28 नहरें आंशिक रूप से चालू हैं। खंड द्वारा निर्मित 138 नहरों की निर्माणार्थ ` 755.86 लाख व्यय किया गया था, जिनमे से ` 47.64 लाख से निर्मित नहरें बंद हैं तथा ` 255.71 लाख से निर्मित नहरें आंशिक रूप से चालू हैं। अर्थात इन नहरों की यथा मरम्मत/ देख रेख किया जाए तो पूर्ण रूप से चालू किया जा सकता है। तथा किसानों की कृषि भूमि सिंचित कर लाभ पाहुचाया जा सकता है। लेकिन विभाग की उदासीनता के कारण किसानों को पूर्ण लाभ नहीं पहुचाया जा रहा है। उल्लिखित नहरों की मरम्मत देख-रेख हेतु खंड के द्वारा वर्ष 2015-16 में ` 214.72 लाख का प्रावधान किया था, के सापेक्ष मात्र ` 69.99 लाख ही आवंटित किया गया, और वर्ष 2016-17 में कुल ` 218.96 लाख का प्रावधान किया गया था, के सापेक्ष 10/2016 तक मात्र ` 14.00 लाख ही आवंटित किया गया है अर्थात वर्ष 2015-16 प्रावधान के सापेक्ष 32.60 प्रतिशत तथा 2016-17 मे (10/2016 तक) मात्र 16 प्रतिशत ही धनराशि आवंटित की गयी है। इसे इंगित करने पर खंड ने उत्तर मे बताया कि " वर्तमान में खंड के अंतर्गत 94 संख्या नहरें वैकल्पिक व्यवस्था / अस्थायी मरम्मत रखरखाव द्वारा चलाई जा रही हैं, इन नहरों हेतु भी मरम्मत के लिए धन की आवश्यकता होगी। अत: उक्त 94 संख्या नहरें जो चालू हैं वे स्थायी रूप से चालू नहीं हैं"। आगे यह भी बताया कि "विभाग के उच्चाधिकारियों को धन आवंटन हेतु पत्राचार किया जाता रहा है पुन: इस हेतु पत्राचार किया जाएगा जिससे किसानों को पूर्ण लाभ मिल सके"। खंड के उत्तर से स्पष्ट है कि ` 755.86 लाख से निर्मित 138 नहरों जिनकी लंबाई 380 कि॰मी॰ है, के मरम्मत/रखरखाव/देख-रेख हेतु मांगानुसार धनराशि आवंटित न होने के कारण किसानों को सिंचाई का पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है। अत: ` 755.86 लाख से निर्मित नहरों से किसानों को सिंचाई का पूर्ण लाभ प्राप्त न होने का प्रकरण उच्चाधिकार्यों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
10/2015-16	01	01 एवं 02
02/2011-12	-	01
43/2009-10	03	01
96/2006-07	04	-
27/2005-06	05	03
21/2004-05	02	01
08/2003-04	02	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
10/2015-16	भाग-दो'अ' पूर्व में प्रस्तुत 01 भाग-दो'ब' 01 एवं 02		भाग-दो'अ' प्रस्तर-1 पूर्ण वसूली तक प्रस्तर निरस्त नहीं किया जा सकता है। भाग-दो'ब' आस्था तथ्यात्मक न होने के कारण प्रस्तर यथावत रखा जा सकता है।	उक्त सभी आख्या का प्रतिउत्तर मुख्यालय के द्वारा भेजा जा चुका है। उक्त के अलावा अनिस्तारित प्रस्तरों की आख्या नहीं भेजी गयी है।
43/2009-10	भाग-दो'अ' प्रस्तर 01 एवं 02 पूर्व में प्रस्तुत		दोनों प्रस्तरों की आस्था तथ्यात्मक नहीं है। अत: प्रस्तर यथावत रखा जा सकता है।	

<u>**भाग-IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाये)

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खंड, बागेश्वर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   (i) -

   (ii) -

   (iii) -

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) -

   (ii) -

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री पी॰वी॰ कर्नाटक	अधिशासी अभियन्ता

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खंड, बागेश्वर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (संबंधित क्षेत्र का नाम) को प्रेषित कर दी जांय।

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1.	श्री बटोरन शाह	खण्डीय लेखाधिकारी
2.	श्री सुनील कुमार	खण्डीय लेखाधिकारी

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक क्षेत्र-2